



दिनांक 23.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति 541 / 2026

## मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर 01 करोड़ से अधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाला उत्तर प्रदेश पुलिस देश का प्रथम विभाग बना

- माननीय मुख्यमंत्री, श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए गृह विभाग को सम्मानित किया गया।
- उत्तर प्रदेश पुलिस की क्षमता विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि; प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक दक्षता को सुदृढ़ करने के सतत प्रयासों का परिणाम।
- प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता के सतत मूल्यांकन हेतु 'उन्नति कैपेबिलिटी इंडेक्स' का शुभारंभ।
- दक्षता आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के विकास हेतु 'नेशनल करिकुलम डिजाइन फ्रेमवर्क' का शुभारंभ।
- प्रशिक्षण संस्थानों के मध्य सहयोग एवं श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान पर बल।

आज दिनांक 23.10.2026 को माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी ने लोक भवन सभागार, लखनऊ में डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी (RUPAAM) तथा भारत सरकार के क्षमता विकास आयोग (Capacity Building Commission) के संयुक्त तत्वावधान में मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय कार्यशाला 'साधना शृंखला-2026' के शुभारंभ कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों एवं विभागों को सम्मानित किया।

मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत विभागीय श्रेणी 'क' में उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर **एक करोड़ से अधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।** माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश **श्री राजीव कृष्ण** के मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण निदेशालय के सतत प्रयासों से प्राप्त यह उपलब्धि पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण, व्यावसायिक दक्षता एवं क्षमता विकास को निरंतर सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

इस उपलब्धि के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गृह विभाग को सम्मानित किया गया। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की ओर से पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) **श्री राजीव सभरवाल** एवं डीआईजी प्रशिक्षण **श्री देव रंजन वर्मा** ने सम्मान प्राप्त किया।

मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस में डिजिटल माध्यमों से प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यक्षमता, व्यावसायिक दक्षता तथा कर्तव्य निर्वहन की गुणवत्ता में निरंतर सुधार पर विशेष बल दिया जा रहा है। कार्मिकों की कार्यगत आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों को अपनाने से विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक दक्ष, प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाने में सहायता मिल रही है।

कार्यक्रम में प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता एवं क्षमता के सतत मूल्यांकन के लिए ‘उन्नति कैपेबिलिटी इंडेक्स’ तथा भूमिका एवं दक्षता आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के विकास के लिए ‘नेशनल करिकुलम डिजाइन फ्रेमवर्क’ का शुभारंभ किया गया। इन पहलों का उद्देश्य प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अधिक प्रासंगिक एवं उपयोगी बनाना तथा सरकारी कार्मिकों के क्षमता विकास को व्यवस्थित दिशा प्रदान करना है।

इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मिशन कर्मयोगी केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि लोक सेवा की कार्यसंस्कृति में परिवर्तन लाने वाला राष्ट्रीय अभियान है। प्रशिक्षण की वास्तविक सफलता केवल पूर्ण किए गए पाठ्यक्रमों अथवा प्राप्त प्रमाणपत्रों की संख्या से नहीं, बल्कि प्रशिक्षण के बाद लिए जाने वाले बेहतर निर्णयों, सरल हुई प्रक्रियाओं और नागरिकों को मिलने वाली बेहतर सेवाओं से परिलक्षित होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सामान्य नागरिक की समस्या का समाधान और शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही सुशासन की वास्तविक कसौटी है।

मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि उन्नति जैसे मंच प्रशिक्षण संस्थानों को अपने अनुभव, विशेषज्ञता, नवाचारों एवं श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को साझा करने का अवसर प्रदान करते हैं। विभिन्न राज्यों एवं संस्थानों के बीच परस्पर सीखने की यह प्रक्रिया प्रशासनिक क्षमता को सुदृढ़ करने तथा सफल प्रयासों को व्यापक स्तर पर अपनाने में सहायक होगी।

गृह विभाग को प्राप्त यह सम्मान मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह पुलिस कार्मिकों के सतत व्यावसायिक विकास, आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों के प्रभावी उपयोग तथा नागरिक-केंद्रित, दक्ष एवं जवाबदेह पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करता है।







दिनांक 23.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति 542 / 2026

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना मीरापुर

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
  - 04 एटीएम कार्ड
  - 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 23.10.2026 को थाना मीरापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चुडियाला रजवाहे पुलिया के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त आदिल रशीद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 04 एटीएम कार्ड, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मीरापुर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, कमिश्नरेट गाजियाबाद, प्रयागराज व महाराष्ट्र के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मीरापुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्त

1—आदिल रशीद निवासी ग्राम चिट्टा थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

### बरामदगी

1-04 एटीएम कार्ड।

2-01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर)।

3-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

### जनपद रामपुर/थाना टाण्डा

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 10 दो पहिया वाहन बरामद

दिनांक 23.10.2026 को थाना टाण्डा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रामपुर रोड पर हजरतनगर तिराहा से 02 अभियुक्तों 1-सुन्दर 2-रवि कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 दो पहिया वाहन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना टाण्डा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1-सुन्दर निवासी ग्राम डांडी दुर्जन थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद।

2-रवि कुमार निवासी टाण्डा डालचन्द थाना किलाखेडा जनपद उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।

### बरामदगी

1-चोरी की 10 दो पहिया वाहन।

### कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना फजलगंज

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- 101 ग्राम अवैध मादक पदार्थ/ड्रग्स-मेफेट्रोन (MD)
- 01 मोबाइल फोन बरामद

दिनांक 23.10.2026 को थाना फजलगंज व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त नजमुद्दीन उर्फ शान को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 101 ग्राम अवैध मादक पदार्थ/ड्रग्स-मेफोड्रोन (MD), 01 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना फजलगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1-नजमुद्दीन उर्फ शान निवासी लकड़मण्डी थाना कर्नलगंज, कानपुर नगर।

### बरामदगी

1-101 ग्राम अवैध मादक पदार्थ/ड्रग्स-मेफोड्रोन (MD)।

2-01 मोबाइल फोन।

- जनपद बहराइच/थाना रानीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठिन कारावास की सजा व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना रानीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377 भादवि व 06 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त गरीबे को 20 वर्ष के कठिन कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद बलिया/थाना खेजुरी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष के कारावास की सजा व 41 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना खेजुरी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/323 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बजरंगी को 12 वर्ष के कारावास व 41 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद अमरोहा/थाना आदमपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना आदमपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 4(2)/18 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त करन को 10 वर्ष के कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद कानपुर देहात/थाना शिवली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 54-54 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कानपुर देहात द्वारा थाना शिवली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/323/504 भादवि के अन्तर्गत 04 अभियुक्तों 1-श्यामबाबू 2-03 अभियुक्ता को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 54-54 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद गोरखपुर/थाना झंगहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना झंगहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(2)(n), 452, 506 भादवि व 67ए आईटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त ओमप्रकाश को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

-----